राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3448 / 2022

राजबाला

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 30.09.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र बलवदा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर सब सेन्टर, घूमनसर कला, झुन्झुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1)के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन / स्थानान्तरण सब सेन्टर, सतो, सम, जैसलमेर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के पति की सड़क दुर्घटना में दिनांक 27.02.2022 को मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में अपीलार्थी के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। प्रमाण पत्र नहीं बनने से वह प्रमाण पत्र विभाग में नहीं दे सकी। अपीलार्थी विधवा महिला है, इस कारण उसका 800 किमी. दूर स्थानान्तरण किये जाने से, उसे अत्यधिक परेशानी होगी। अतः उक्त आधार पर अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया जावे।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5. यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी विधवा महिला है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सब सेन्टर, घुमनसर कला, झुन्झुनू से सब सेन्टर, सतो, सम, जैसलमेर में लगभग 800 किमी. दूर आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2022 के द्वारा किया गया है। प्रत्यर्थीगण की विधवा कार्मिकों के संबंध में नीति है जिसके अनुसार ''पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा महिला, परित्यक्ता, शहीद की विरांगना से प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।'' अपीलार्थी से किसी प्रकार की प्राथमिकता लिया जाना अभिलेख से दर्शित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में तीन सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें।

7. अतः अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)